


5.9.23

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अनुपस्थित हुए।
प्रकरण विपक्षी की नामिल हेतु नियत है। प्रार्थी
काश्चिदेवता पूर्व में भी अनुपस्थित रहे। माफालय
द्वारा मन्त्र-कुरु कर तीन बार आवाज लगावई
गई बावजूद इससे कोई उपस्थित नहीं हुआ।

अतः, प्रार्थन पत्र आदेश 9 नियम 8 के तहत
अदम दाजरी अदम पेटवी के खारिज किया जाता है।
निर्णय लेने उजलाम सुनाया गया। प्रकरण फल
शुमार होना नम्बर से कम है।


प्रतिभा वसा
IAS